

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

कैम्प - अटल सेवा केन्द्र, फूलियाकलां

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 298/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. बतुल बेगम पति भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
2. शफी मोह० पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3. रफीक मोह० पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
4. इंसाफ मोह० पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
5. रईसा पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
6. बिस्मिल्लह पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां
7. शेर बानु पिता भूरे खॉ देशवाली निवासी फूलियाकलां तह० फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. कासम पिता जमाल नीलगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2. उमराव पिता जमाल नीलगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3. पीरु मोह० पिता रहमान निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
4. रामेश्वर पिता गोकल माली निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
5. बख्तावर पिता शमशेर खॉ निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण के ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 739 के आराजी नम्बर 4179 रकबा 0.05 है, आराजी नम्बर 4180 रकबा 0.26 है, आराजी नम्बर 4181 रकबा 0.23 है० आराजी कुल किता 03 रकबा 0.54 हैकटर का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के



सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां संवत 2068 से 2071 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फूलियाकलां मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 03 रकबा 0.54 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये (अक्षरे एक सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र फूलियाकलां पर सुनाया गया।



( एम०पी० टायक )  
आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

06/6/16  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा